ऐसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में श्रम कल्याण

डॉ. भारती कपूर

श्रम कल्याण शब्द की व्याख्या अत्यंत व्यापक अर्थों में की जाती है तथा इसमें वे सब कार्य सम्मिलित किये जाते हैं। जो श्रमिकों की भलाई के लिए किये जाते हैंः– जैसे उनके मनोरंजन के लिए खेल–कूद अथवा नाटकों का आयोजन उनके जलयान के लिए केण्टीन की व्यवस्था, सफाई स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ निवास की सुविधाएँ यातायात की सुविधा तथा अन्य सभी कार्य जिनका उद्देश्य श्रमिकों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान करना हो। श्रम कल्याण इतना व्यापक शब्द है कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य भी इसी में सम्मिलित किये जाते हैंः– जैसे भविष्य निधि की व्यवस्था अथवा बीमारी और बेकारी से संबंधित बीमा आदि। श्रमिकों में बचत एवं मितव्ययिता की आदत पैदा करने के उद्देश्य से सहकारी समितियों का निर्माण अथवा बचत–बैंकों की स्थापना भी श्रम कल्याण का अंश है। ''श्रम कल्याण कार्य वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था में तथा कार्य पद्धति में यदा–कदा, वहन–सहन एवं सांस्कृतिक दशाओं में किये जाने वाले स्वैच्छिक कार्यो के प्रतीक हैं जो वैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनिवार्य प्रावधानों के अलावा व्यावसायिक परम्परा अथवा बाजार मं प्रचलित दशाओं के अन्तर्गत किये जाते हैं।''

श्रम कल्याण कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कारखाने के अन्दर श्रम कल्याण कार्य जिन्हें इण्ट्रा न्यूरल कहते हैं तथा कारखाने के बाहर किये जाने वाले कार्य जिन्हें एक्स्ट्रा म्यूरल नाम से संबोधित किया जाता है। कारखाने के अन्दर श्रम कल्याण से संबंधित कार्यों में सब कार्य आ जाते हैं जिनका संबंध सफाई, रोशनी, पानी, प्राथमिक चिकित्सा, दुर्घटनाओं से सुरक्षा, शिशु गृह, जलपान ग्रह, विश्राम गृह, वाचनालय, आदि से होता है। फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत इन सबके विषय में वैधानिक व्यवस्थाएँ सम्मिलित की गयी है। जिनका पालन करना मिल मालिक व न्यूनतम वैधानिक दायित्व को पूरा करने के अतिरिक्त श्रमिकों के कल्याण के लिए और भी अधिक कार्य कर सकता है। कारखाने के बाहर किये जाने वाले श्रम कल्याण कार्यों में मकानों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएँ, सस्ती दर पर परिवहन की सुविधा खेलकूद पार्क एवं अन्य मनोरंजन के लिये किये जाने वाले कार्य आते हैं। जिन कारखानों में 500 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करतें है। उनमें श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है।

पहले श्रम कल्याण से आशय नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं से लगाया जाता था, अतः इसका क्षेत्र सीमित था। वर्तमान समय में श्रम कल्याण के अन्तर्गत कारखानें के भीतर एंव बाहर प्रदान की जाने वाली वे सभी सुविधायें आती है जिनसे श्रमिकों का शारीरिक,मानसिक ,नैतिक तथा आर्थिक विकास हेा सकें। ये सुविधायें नियोक्तओं ,सरकार एंव अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान की जा सकती है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रम कल्याण हेतु निम्न प्रावधानों का समावेश है–कपडें धोने की सुविधायें कपडों को रखने और सुखाने की सुविधायें, बैठने की सुविधायें प्राथमिक उपचार के उपकरण, जल–पान गृह ,विश्राम गृह, आश्रम –कक्ष तथा भोजन–कक्ष ,शिशृ गृह, कल्याण अधिकारी , नियम बनाने का अधिकार आदि।

ऐसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में श्रमिकों को प्रदान की गई सुविधायें:–

1. **विश्राम कक्ष एंव भोजन कक्ष :–** एसोसिऐटेड सीमेंट कंपनी में 150 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। जिनके कारण कंपनी में धारा 47 (1) के अनुसार नियम लागू हो रहा है। नियमानुसार श्रमिक को एक घंटे तीस मिनिट का भोजन एंव विश्राम करे हेतु अवकाश मिलता है। श्रमिक इस एक घण्टे तीस मिनिट के पहले 20–25 मिनिट में भोजन समाप्त करते है। तथा बाद के लगभग एक घण्टे श्रमिक विश्राम करते है।विश्राम कक्ष की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई है, श्रमिक कार्य करने के कमरे में भेजन नही करे। इसलिए यह आवश्यकता समझा गया है। कि एक अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था भी की जाये जहॉ कंपनी के सभी श्रमिक एक कमरें में एक साथ बैठकर अपने साथ लाये हुए भोजन को खा सकें और जो शेष समय हो उसमें विश्राम कर सकें। एसोसिऐटड सीमेंट कंपनी में विश्राम कक्ष की व्यवस्था है वहॉ के श्रमिकों के ऊपर एक प्रतिबंध लगा है कि श्रमिक विश्राम कक्ष के अतिरिक्त किसी दूसरे कमरे में भोजन नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार का अधिकार है वह किसी भी कारखानों को विश्राम कक्ष या भोजन कक्ष की आवश्यकताओं से मुक्त कर सकती है। परंतु राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक नियम बना दिये है। और मध्यप्रदेश की प्रत्येक 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत संस्थाओं को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

(2) **कार्य के घण्टें** : विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रमिक यदि लंबे समय तक उत्पादन कार्य करते है तो श्रमिक थकान का अनुभव करता है साथ ही कार्य के प्रति अरूचि तथा ग्लानि का अनुभव करता है और लगातार कार्य करने से श्रमिक अस्वस्थ्य हो जाता है जिसमें कार्यक्षमता कम होती है कारणस्वरूप श्रमिक कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता और उत्पादन की मात्रा घटती जाती है। इसलिए

भारत के विभिन्न श्रम अधिनियमों में श्रमिकों के कार्य घण्टों की व्याख्या की गई है। इनका पालन किया जाना अनिवार्य है। इसलिए एसोसिऐटेड सीमेंट कंपनी में श्रमिकों की पाली 8 घण्टों की तय की गई है।

(3) **अधिक समय के लिये अतिरिक्त मजदूरी :–**

धारा 59 के अनुसार यदि श्रमिक एक दिन में 8 घण्टे से अधिक एंव सप्ताह में 8x7=56 घण्टे से अधिक कार्य करता है तो उस श्रमिक को कंपनी द्वारा अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। सप्ताह में निर्धारित घण्टों से अतिरिक्त कार्य करना एंव अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करना यह श्रमिक की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। सर्वेक्षण करने से पता चलता है कि ठण्ड के मौसम में श्रमिक अतिरिक्त मजदूरी करता है तथा गर्मी के मौसम में अपनी 8 घण्टों की पाली पर ही कार्य करता है । श्रमिक उतनी अतिरिक्त मुद्रा कमा सकता है जितने अतिरिक्त घण्टे श्रमिक कार्य करेगा।

(4) **आवास सुविधाः–** एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में कार्यरत श्रमिकों एंव कर्मचारियों को कार्य की दशाओं के साथ–साथ उनके रहने की भी सुविधा दी जा रही है। श्रमिकों एंव कर्मचारियों के आवासीय कॉलोनी में श्रमिकों को वेतनमान ग्रेड के आधार पर आवास सुविधा प्रदान की गई है। श्रमिक के वेतन मॅहगाई भत्ते आदि के साथ–साथ आवास की व्यवस्था कंपनी में अच्छी की गई। क्योंकि जब तक श्रमिक के मस्तिष्क में आवास समस्या है तब तक वह अपने कार्य मे पूरा योगदान नहीं दे पायेगा। एक सुखद पारिवारिक जीवन हेतु समुचित आवास व्यवस्था को प्रथम आवश्यकता माना जाता है।

निष्कर्षः– एसोसिऐटेड सीमेंट कंपनी में उत्पादन कार्य 24 घण्टे चलता है इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सुविख्यात ए.सी.सी. में श्रम कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे उत्पादन कार्य में निरंतर वृद्धि हो सकें। श्रमिक एंव उच्च पदाधिकारियों में मतभेद उत्पन्न हो जाते है परिणाम स्वरूप सीमेंट उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसके निराकरण हेतु ए.सी.सी. कैमोर यूनिट हैड द्वारा भी श्रमिकों को श्रम कल्याण की सुविधा उपलब्ध करना चाहिए जैसे केन्टीन, श्रम प्रशिक्षण , आवास , मनोरंजन , चिकित्सा ,स्कूल ,अस्पताल आदि जिससे श्रमिक हडताल की स्थिति उत्पन्न न करें और श्रमिक रूचि से उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करें। यूनिट हैड द्वारा ऐसी योजना क्रियावित करना चाहिए जिससे श्रमिकों में कर्मचारियों में अधिकारियों में, प्रबंधकों में अत्याधिक सीमेंट उत्पादन लागत कम करने का लक्ष्य हो।

संदर्भः–

- श्रमिक एंव कमलेश मिश्रा श्रमिक ए.सी.सी. कैमोर द्वारा जानकारी एकत्र की गई।
- यूनियन प्रमुख श्याम तिवारी द्वारा व्यक्तिगत सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी एकत्र हो गई।
- श्रम अर्थशास्त्र एंव औद्योगिक संबंध डॉ. टी.एस. भगोलीवाल ,डॉ. श्रीमति स्नेहलता।
- औद्यौगिक अर्थशास्त्र सिन्हा डॉ. वी. सी.(2005) लोकभारती प्रकाशन 15 ए महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद षष्टम संस्करण प्र. सं. 425

औद्योगिक संस्थान में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना

डॉ. भारती कपूर

प्रशिक्षण प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु योग्य बनाने की एक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण प्रबंधकीय सेवा पूर्ण और सेवाकालीन दोनों ही प्रकार का होता है। एक निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति एक विशिष्ट कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। सामान्य रूप में प्रशिक्षण द्वारा सर्वोत्तम विधि एंव विशिष्ट समस्याओं के समाधान की श्रेष्ठतम विधि का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक उपक्रम का उद्देश्य अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता बढाकर उत्पादकता में वृद्धि करना एंव अनुकूल आचरण, मनोबल तथा प्रेरणा का विकास करना होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति प्रशिक्षण से ही संभव है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि प्रशिक्षण किसी भी कर्मचारी की विशिष्ट कार्य करने के योग्य बनाने की प्रक्रिया है । अन्य शब्दों में कह सकते है कि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है । जिसके अंतर्गत समयबद्ध कार्यक्रमद्वारा व्यक्ति की योग्यता , कार्यक्षमता और निपुणता में उस स्तर और सीमा तक वृद्धि की जाती है। जहॉ वह उस कार्य को कर सकें। जिसके लिए उसे प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण एक प्रकार से किसी कार्य को सुशिक्षित करना है। सैद्धांतिक और व्यावारिक ज्ञान की शिक्षा कर्मचारी की योग्यता, कार्यक्षमता और निपुणता वृद्धि करने के आवश्यक है। अतः प्रशिक्षण शिक्षा वह है जो उपक्रम विशेष के कार्यो अनुकूल व्यवहार करने तथा आत्मविश्वास के साथ कार्य विशिष्ट को सम्पन्न करने हेतु कर्मचारी में सक्षमता एंव निपुणता उत्पन्न करती है।

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में प्रशिक्षण :–

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में प्रशिक्षण कार्य हेतु (SMTI) संस्थान खोला गया है। जिसका पूरा नाम sumant moolgaokar technical insitute है। संस्थान की स्थापना कैमार में 1957 में की गई थी। वर्तमान समय में प्रशिक्षण केन्द्र के प्रबंधक दुर्गा प्रसाद गौतम है । यहॉ पर पूरे भारत देश के 16 प्लांट के कर्मचारियों एंव नये विद्यार्थियों को प्रशिक्षण केवल सीमेंट उत्पादन के लिए दिया जाता है। कैमोर में साल में कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें गागल (हिमाचल प्रदेश) मधुराई (तमिलनाडू) सिन्दरि(बिहार) वाडी (कर्नाटक) चाईबासा (झारखंड) बरगढ (उड़ीसा) लखेरी (राजस्थान) टीकरिया (यू.पी.) आदि राज्य से कर्मचारियों एंव विद्यार्थी भाग लेने आते है।

उद्योंगो में लगे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना औद्योगिक संगठन मनोवैज्ञानिको के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण की संतोषजनक परिभाषा देते हुए किंग ने लिखा है ''औद्योगिक प्रशिक्षण संगठन–सदस्यों में कौशल विकसित करने शिक्षण का दर सर्वोत्तम करने तथा उनके व्यवहारों को एक ऐसी वांछित दिशा में परिमार्जित करने की चेष्ठा की जाती है संगठन की प्रभावशीलता बढा सकें।

प्रशिक्षण कर्मचारियों को निम्न उद्देश्य से दिया जाता है:–

- कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन करके एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करना।
- प्रशिक्षण में कर्मचारियों को सीमेंट उत्पादन संबंधी जटिलताओं और समस्याओं का परिचय कराना ताकि समय आने पर समाधान कर सकें।
- कर्मचारियों को सीमेंट के उत्पादन संबंधी सैद्धांतिक, व्यावहारिक, निर्णात्मक समग्र ज्ञान प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाता है।
- कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण जिसमें इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल उपकरण , कम्प्यूटर आदि की जानकारी दी जाती है।
- माइनिंग (खदान प्रशिक्षण) खदान से कच्चे माल निकालने के लिए तैयार किया जाता है ।
- एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में कर्मचारियों के लिए सीमेंट उत्पादन संबंधी कार्यक्रम समय–समय पर आयोजन किया जाता है ।
- प्रशिक्षण संस्थान में प्रत्येक कर्मचारियों को प्रातः काल 8 बजे से पहले स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु दौडाया जाता है एंव कर्मचारियों में अनुशासन लाया जाता है।

- दौड समाप्त होने के बाद कर्मचारियों में कोई एक कर्मचारी मंच में आकर दो शब्द बोलता है। वह समाचार या राजनैतिक विषय में हो सकता है।
- प्रशिक्षण समय में सीमेंट उत्पादन संबंधी विभिन्न नीतियों व नियम की स्पष्ट जानकारी कर्मचारियों को दी जाती है।
- प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव में आग से सुरक्षा , प्लांट सुरक्षाा आदि की विभिन्न जानकारी दी जाती है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का केवल एक ही उद्देश्य है कि उन्हें सीमेंट उत्पादन कार्य में निपुण बनाया जाए जिससे कच्चे माल एंव समय की बर्बादी न हो। कंपनी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके । एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में छः सेमेस्टर होंगे। चार सेमेस्टर की परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में होगी एंव 2 सेमेस्टर की परीक्षा प्रयोगात्मक प्लांट में ली जाएगी। कर्मचारियों को विभिन्न विधियों के माध्यम से निम्नलिखित विषय जैसे गणित ,रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, अंग्रेजी,कम्प्यूटर एंव तकनीकी ज्ञान अनुभवी विशेषज्ञ के माध्यम से जानकारी दी जायेगी। इस तरह प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण की सुविधाएं अपने वास्तविक काम पर जाने से पूर्व ही प्राप्त कर लेता है। इस पद्धति के लाभ है :– कि प्रशिक्षार्थी काम के स्वरूप के साथ अपने को अभ्यस्त और समायोजित करने का कुछ अवसर पा लेता है और बहुतेरे अनावश्यक कष्टदायक अथवा अपमानजनक अनुभवों से बच जाता है, जो कि हर नए कार्यकर्त्ता को आकस्मिक रूप से यह काम पर बिना प्रशिक्षण के रखने से भोगना ही पडता है। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षार्थी के गुण तथा अवगुण दोनों ही की सम्यक जानकारी एक साथ होती है, क्योंकि प्रबंधक को मौका मिलता है कि वह प्रशिक्षार्थी का निरीक्षण शांत वातावरण में करें।

समवाय विद्यायल ऐसे पेशेवर शिक्षणालय का नाम है ,जो या तो कंपनी पदाधिकारियों के निर्देशन में चलाया जाता है अथवा किसी अन्य अनुदेशकों के निर्देशन में ये सकूल साधारणतः कंपनी के अहाते के बाहर स्थित होते है। कभी–कभी दूसरे शहरों में भी इन स्कूलों पर समवाय की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का सारा दायित्व टिका रहता है।कंपनी की वर्तमान आवश्यकताओं तथा अनुदेशकों अनुसार ही नए व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। कंपनी स्कूल सर्वाधिक लोकप्रिय हुए है, क्योंकि कारखाने को इनके संचालन हेतु तनिक भी प्रत्यक्ष रूप से सोचना नहीं पडता । फिर इस प्रकार के प्रशिक्षण में सिर्फ वास्तविक कार्य–संपादन तक ही अनुदेश सीमित नहीं रखा जाता , बल्कि मौखिक तथा सांस्कृतिक विषयों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राविधि में कई त्रुटियॉ सान्निहित है। परन्तु इसके कतिपय गुण ऐसे है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

निष्कर्ष :–

वन में वृक्ष अनेक उबड–खाबड भूमि पर खडे रहते है परन्तु काटने के बाद उनसे असंख्य प्रकार की वस्तुऍ बनायीी जाती है।इसी प्रकार व्यक्ति की निपुणता को सदृढ बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पडती है।वर्तमान समय में भारत के 29 राज्यों में से मध्य प्रदेश राज्य सीमेंट का अत्याधिक उत्पादन कर रहा है । जिससे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत देश की प्रगति हो रही है। इसी प्रगति को ध्यान में रखते हुए ए.सी.सी. कैमोर कंपनी में प्रशिक्षण कार्य सप्ताह में एक बार आवश्यक रखना चाहिए जिससे संस्थान में दुर्घटना न हो एंव श्रमिकों में कार्य के प्रति रूचि उत्पन्न हो।

संदर्भः–

(1) जैन डॉ. एस.जी. (2013) प्रबंधक के सिद्धांत कैलाश पुस्तक सदन – भोपाल संस्करण

(2) औद्योगिक एंव व्यावसायिक मनोविज्ञान द्विवेदी डॉ. कृष्णदत्त (1974) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी उत्तर प्रदेश

(3) प्रबंधकः– दुर्गा प्रसाद गौतम ए.सी.सी.प्रशिक्षण केन्द्र कैमार द्वारा जानकारी एकत्र की गई।